

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 19/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.118(अ) तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 27 फरवरी, 2010 को सिवाय ऐसी बातों के जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार